



केन्द्रीय भंडारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
Central Warehousing Corporation
(A Government of India Undertaking)



क्र/केभनि/क्षे का भोपाल/क्षेप्रस/E- 75543 /2023-24

दिनांक: 31.05.2023


कार्यालय आदेश

विषय : कार्यस्थल पर महिलाओं के Sexual Harassment से संबंधित शिकायत के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन ।

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश दिनांक 29-05-2019 एवं 01-06-2019 के अधिक्रमण में, भोपाल क्षेत्र की महिला कर्मचारियों से प्राप्त Sexual Harassment से संबंधित शिकायतों/शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति का तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-

1.	श्रीमती दीप्ति शुक्ला, सहायक महाप्रबंधक (लेखा), के भ नि, क्षे का भोपाल	समिति प्रमुख
2.	श्रीमती नेहा, प्रबंधक (सा), के भ नि, क्षे का भोपाल	सदस्य
3.	श्री मुकेश कुमार, वरि सहा प्रबंधक (राजभाषा), के भ नि, क्षे का भोपाल	सदस्य
4.	श्रीमती समर खान, निदेशक, निर्भया फाउंडेशन (NGO) पता: 6 नं, गैस दावा अदालत, ताजमहल के सामने, शाहजहांबाद, भोपाल (nirbhayafoundation786@gmail.com) (Mob No 9424485736)	सदस्य

समिति 31.05.2023 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यशील रहेगी । आंतरिक शिकायत समिति, शिकायतों की जांच करेगी और "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आवश्यक समझी जाने वाली सिफारिशें देगी । समिति समय पर शिकायत के निवारण के लिए जिम्मेदार होगी ।


(मुकेश सती)
क्षेत्रीय प्रबंधक

प्रति,
समिति सदस्य ।

प्रतिलिपि:

1. समूह महाप्रबंधक (कार्मिक), केन्द्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली.... सूचनार्थ ।
2. कार्यालय प्रति ।